यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

न. 71/2019

उनवान

बाबूलाल पुत्र गोपाल, उम्र 48 वर्ष, जाति अहीर, निवासी कस्बा चौमूं, हाल निवासी ग्राम नांगल कोजू, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

—वादीगण

बनाम

1. अर्जुनलाल पुत्र भगवानसहाय
2. काना पुत्र रामदेव
3. कोयली पत्नी गंगूराम
4. नानूराम पुत्र गणेश
5. नानूराम पुत्र गंगूराम
6. नारायण पुत्र गंगूराम
7. प्रभात पुत्र भगवानसहाय
8. फूली पुत्री गंगूराम
9. बृजमोहन पुत्र भगवानसहाय
10. बाबूलाल पुत्र गंगूराम
11. भगोती पुत्री गंगूराम
12. भूरा पुत्र रामदेव
13. मुन्नी पुत्री गंगुराम
14. मुरलीधर पुत्र गणेश
15. रूकमा पुत्री गंगुराम
16. हनुमान पुत्र गणेश

समस्त जाति अहीर, निवासी कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

17. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार तहसील चौमूं जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा</u>

निर्णय दिनांक:— 28.11.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपने वाद में निवेदन किया है कि वाके कस्बा चौमू, पटवार हल्का चौमूं–बी, तहसील चौमूं जिला जयपुर में वादी की शामलाती खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 5123 रकबा 0.04 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.04 है0 भूमि का हिस्सा 1/7 भाग की खातेदारी वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के पूर्वी दिशा में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 16 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 5119/1 रकबा 0.37 है0, खसरा नम्बर 5119/3 रकबा 0.03 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.40 है0 एवं खसरा नम्बर 5119/2 रकबा 0.01 है0 भूमि स्थित है। उक्त खसरा नम्बर 5123 की भूमि को इस वाद पत्र में विवादग्रस्त है जिसे वाद पत्र के अग्रिम मदों में विवादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया गया है।

उक्त भूमि विवादग्रस्त में वादी मौके पर काश्त कर उपयोग उपभोग में लेकर समस्त लाभ प्राप्त करते आ रहा है वादी की भूमि खसरा नम्बर 5123 के पूर्वी ओर खसरा नम्बर 5119/1, 5119/2, 5119/3 की भूमि स्थित है। जो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 की भूमि स्थित है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 5123 के पुर्वी सीमा पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 16 आये दिन वादी के खेत की मेढ (बाधा) को तोडकर जबरियां कब्जा करने पर आमादा रहते है तथा वादी को धमकी देते है कि तुम्हारे खसरा नम्बर 5123 में हमारी भूमि बची हुई है जिस पर तुम्हें बेदखल कर कब्जा

[..]ने की फिराक में रहतें है एवं वादी को उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने पर आमादा रहते है। उक्त क्रम में ही प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर वादी की भूमि की सीमा पर अवैध डण्डें का निर्माण करवा लिया गया है।

विवादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 ने दिनांक 09.07.2019 को वादी की गैर मौजूदगी में वादी की सींवडोल को तोडकर जबरिया कब्जा करने की नीयत से खेत में प्रवेश करने का प्रयत्न किया गया तथा वादी द्वारा इसमें प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 को रोक टोक करने पर वादी से लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये तथा धमकी दी कि शीघ्र ही मौका मिलते ही तुम्हारी सींव डोल को क्षतिग्रस्त कर भूमि पर कब्जा करके रहेंगे। तथा दिनांक 10.07.19 की रात्री को सभी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 एक राय होकर रातो रात डण्डे का पक्का निर्माण कार्य कर लिया है।

प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पावन्द किया जावे कि वादी की भूमि विवादग्रस्त के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा कारित नहीं करें, तथा ना ही भूमि में वा–जोत करने, सिंचाई करनें में किसी प्रकार से दखलन्दाजी व मजाहमत कारित करें, ना हीं अनाधिकृत रूप से भूमि में प्रवेश करकब्जा करने की कुचेष्ठा करें, तथा ना हीं उक्त भूमि की सीमा पर अवैध रूप से डण्डें का निर्माण कार्य करें। उक्त भूमि विवादग्रस्त की सींवडोल व सीमा पर कायम पत्थरों को खुर्द बुर्द करें, ना ही अपनें एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमैन के जरियें करवायें अर्थात् प्रतिवादीगण भूमि विवादग्रस्त के मौके की वर्तमान स्थिति को यथावत बनाये रखें।

वादीगण के वाद पत्र पेश करने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकलन किया गया। नकल जमाबन्दी के अनुसार वादीगण विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभेग के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार प्राप्त है। लिहाजा वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 5123 रकबा 0.04 है० करबा चौमूं, पटवार हल्का चौमूं–बी, तहसील चौमूं जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करें। तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बावत सक्त पावन्ध किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी– हिम्मत सिंह

मु.न. 71/2019

उनवान

वाबूलाल पुत्र गोपाल, उम्र 48 वर्ष, जाति अहीर, निवासी कस्वा चौमूं, हाल निवासी ग्राम नांगल कोजू, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

––वादीगण

बनाम

1. अर्जुनलाल पुत्र भगवानसहाय
2. काना पुत्र रामदेव
3. कोयली पत्नी गंगूराम
4. नानूराम पुत्र गणेश
5. नानूराम पुत्र गंगूराम
6. नारायण पुत्र गंगूराम
7. प्रभात पुत्र भगवानसहाय
8. फूली पुत्री गंगूराम
9. वृजमोहन पुत्र भगवानसहाय
10. वाबूलाल पुत्र गंगूराम
11. भगोती पुत्री गंगूराम
12. भूरा पुत्र रामदेव
13. मुन्नी पुत्री गंगुराम
14. मुरलीधर पुत्र गणेश
15. रूकमा पुत्री गंगुराम
16. हनुमान पुत्र गणेश

समस्त जाति अहीर, निवासी कस्वा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

17. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार तहसील चौमूं जिला जयपुर।

––प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा</u>

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूवरू वादी मिनजामिन मुददई रूवरू हिम्मत सिंह आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि खसरा नम्वर 5123 रकवा 0.04 है0 कस्वा चौमूं, पटवार हल्का चौमूं–बी, तहसील चौमूं जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करें तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बावत सक्त पावन्ध किया जावें। बसरत मेरे दस्तखत व मोहर खुले न्यायालय मे आज तारीख 28.11.2019 को जारी किया गया।

मोहर

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	2	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	2	

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.01.29 14:55:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: